

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
१, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - ११०००१
आर्थिक सहायता अनुभाग

F.No.40(18)/WCD/FAS/V.S /2017-18

अता. प्रश्न संख्या - 414

दिनांक - 28.03.18

प्रश्नकर्ता का नाम - सुश्री भावना गौड़

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग

विभाग का पता - 1 पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि कुछ ऐसे मामले में आये हैं कि जिनमें महिलाओं के पति काफी समय से उनके साथ नहीं रह रहे हैं और उनके पास इसका कोई प्रमाण अथवा एफ आई आर भी नहीं है.	इस तरह के मामले का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, पर ऐसे मामले में आवेदकों को एफ आई आर करने की तथा अन्य दस्तावेज एकत्रित करने की सलाह दी जाती है
(ख)	यदि हां तो क्या दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऐसी महिलाओं को निराश्रित पेंशन दी जा सकती है, 40 से 50 वर्ष के मध्य की आयु वाली उन अविवाहित महिलाओं को जिनके पास अपने माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है, क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें निराश्रित पेंशन दी जा सकती है ;	नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
(ग)	18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों के माता पिता जीवित नहीं हैं, क्या उनके अभिभावक उन बच्चों के लिए निराश्रित पेंशन आवेदन कर सकते हैं और	नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
(घ)	जिन अशिक्षित लड़कियों के माता पिता जीवित अनर्ह हैं क्या वे लड़कियां भी समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली निराश्रित पेंशन की अधिकारी हैं?	नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

Shankar